"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 401] रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर 2013— भाद्र 13, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-10/खाद्य/2001/29-1.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (क्र. 68 सन् 1986) की धारा 30 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है. अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 3 के उप-नियम (1) में, विराम चिन्ह "." के स्थान पर, विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 3 के उप-नियम (1) में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"परन्तु यदि वह अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन की गई पूर्व सेवा के लिए पेंशन (नि:शक्तता पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो उसका वेतन निम्नलिखित रीति में कम हो जायेगा, अर्थात् :-

(क) पूर्व की सेवा के लिए उसके द्वारा प्राप्त पेंशन (नि:शक्तता पेंशन से भिन्न) की समतुल्य राशि ;

(ख) यदि उसने अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पूर्व की गई उसकी सेवा के संबंध में उसको देय पेंशन की सांराशिकृत मूल्य का कोई भाग प्राप्त किया था, तो पेंशन के उस सांराशिकृत भाग की उतनी रकम ; और

(ग) यदि उसने अध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्व की सेवा के संबंध में सेवानिवर्तन उपादान प्राप्त किया है, तो उस उपादान के समतुल्य पेंशन[illegible] "

3. नियम 6 के उप-नियम (1) में, विराम चिन्ह "." के स्थान पर, विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

4. नियम 6 के उप-नियम (1) में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यदि राज्य आयोग का अध्यक्ष पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य वेतन प्राप्त करेगा या यदि वह अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के समय, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन की गई पूर्व सेवा के लिए पेंशन (नि:शक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो अध्यक्ष के रूप में उसको देय वेतन के रूप में से निम्नलिखित रीति में कटोतियां की जायेगी, अर्थात् :-

(क) पूर्व की सेवा के लिए उसके द्वारा प्राप्त पेंशन (नि:शक्तता पेंशन से भिन्न) की समतुल्य राशि ;

(ख) यदि उसने अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पूर्व की गई उसकी सेवा के संबंध में उसके देय पेंशन की सांराशिकृत मूल्य का कोई भाग प्राप्त किया था, तो पेंशन के उस सांराशिकृत भाग की उतनी रकम ; और

(ग) यदि उसने अध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्व की सेवा के संबंध में सेवानिवर्तन उपादान प्राप्त किया है, तो उस उपादान के समतुल्य पेंशन. "

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 5-10/खाद्य/2001/29.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 4th September 2013

NOTIFICATION

No. F 5-10/food/2001/29-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 30 of the Consumer protection Act, 1986 (No. 68 of 1986), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Consumer Protection Rules, 1987 namely :-

AMENDMENT

1. In sub-rule (1) of Rule 3 for the punctuation "." the punctuation ":" shall be substituted.

2. In sub-rule (1) of Rule 3, the following shall be inserted, namely :-

"Provided that if the person so appointed as the President or Member, is drawing pension (other than the disability pension) against his previous service rendered under the Union Government or the State Government, then his salary shall be reduced in the following manner, namely :-

(a) An amount equivalent to the pension (other than the disability pension) received by him against previous service ;

(b) In case he was getting any part of the commuted value of the pension payable to him against the service he previously rendered before appointment as president, the amount to the extent of the commuted part of pension ; and

(c) In case he received any superannuation gratuity against such previous service before his appointment as president, the pension equivalent to that gratuity."

3. In sub-rule (1) of Rule 6 for the punctuation "." the punctuation ":" shall be substituted.

4. In sub-rule (1) of Rule 6, the following shall be inserted, namely :-

"Provided that in case the President of the State Commission is appointed on whole-time basis, he shall receive salary equivalent to that of a Judge of the High Court, or in case he, at the time of appointment as president, is drawing pension against his previous services rendered under the Government of India or the State Government (other than disability or wound pension) deductions shall be made from the salary payable to him as president in the following manner, namely :-

(a) An amount equivalent to the pension (other than the disability pension) received by him against previous service ;

(b) In case he was getting any part of the commuted value of the pension payable to him against the service he previously rendered before appointment as president, the amount to the extent of the commuted part of pension ; and

(c) In case he received any superannuation gratuity against such previous service before his appointment as president, the pension equivalent to that gratuity."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.